



मध्य प्रदेश पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड
अधीक्षण अभियंता(एम.पी.सी./प्रशिक्षण)
कार्यालय अतिरिक्त मुख्य अभियंता-एक
पो.ऑफिस-सारनी जिला-बैतूल(म.प्र.)

Email:-setrgmpcstps@gmail.com फेक्स न. ,07146-278459 / फोन न. 278459

क्र. 505-0103 / अ.यं.(प्रशि) / 502

सारनी, दिनांक:- 21 / 12 / 2018

संशोधित प्रपत्र

अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अन्तर्गत ट्रेड अप्रेंटिस (एक वर्षीय) हेतु आवेदन

मध्य प्रदेश पावर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड जो म.प्र. के राज्य विद्युत मण्डल की एक उत्तरवर्ती कम्पनी है, जिसका कार्यालय मुख्य अभियंता (उत्पादन) म.प्र.पा.जन.कं.लि. सारनी, जिला:- बैतूल में स्थित है, द्वारा म.प्र. के मूल निवासी अभ्यर्थियों के लिये जिन्होंने आई.टी.आई. (एन.सी.वी.टी./एस.सी.वी.टी.) ट्रेड:- फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट, ड्राफ्टमेन (सिविल), टर्नर, इन्सट्रुमेंट मैकेनिक, डीजल मैकेनिक से उत्तीर्ण की है तथा इंजीनियरिंग कॉलेज/पॉलीटेक्निक कॉलेज या डिग्री एवं डिप्लोमा ब्रॉच मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रानिक्स में उत्तीर्ण किया हो अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अन्तर्गत कुल रिक्तियाँ 209 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित है।

नोट:-

01. ऑनलाइन आवेदन हेतु वेबसाइट www.apprenticeship.gov.in है, जिस पर दिनांक: 15.01.2019 की मध्यरात्रि (11.59) तक आवेदन भरे जायेंगे। (दिनांक:- 01/12/2018 से 15/01/2019 की अवधि तक के आवेदन स्वीकार किये जावेंगे)
02. शिक्षता प्रशिक्षण की अवधि एक वर्ष तक रहेगी। जिसमें नियमानुसार स्टाईफंड देय होगा।
03. आवेदन करने वाले सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु दिनांक:- 01.01.2018 को 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 25 वर्ष होना चाहिये एवं एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी./दिव्यांग को आयु में छूट शिक्षता नियम (संशोधित) 2015 एवं राज्य शासन के नियमानुसार रहेगा।
04. उक्त रिक्तियों की संख्या परिवर्तनशील है तथा कम्पनी को रिक्तियाँ भरने या ना भरने का अधिकार रहेगा।
05. एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी./दिव्यांग हेतु आरक्षण शिक्षता नियम (संशोधित) 2015 एवं राज्य शासन के नियमानुसार रहेगा।
06. विस्तृत विवरण उम्मीदवार कम्पनी की वेबसाइट- <http://mppgcl.mp.gov.in/careers.html> पर देख सकते हैं अथवा कार्यालय अधीक्षण अभियंता (प्रशिक्षण) म.प्र.पा.जन.कं.लि. सारनी जिला: बैतूल में कार्यालय समय में सम्पर्क कर सकते हैं।

“बिजली की बचत करें”

अधीक्षण अभियंता

(प्रशिक्षण/संधारण योजना)

म.प्र.पॉ.ज.क.लि.सारनी



मध्य प्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड
अधीक्षण अभियंता(एम.पी.सी./प्रशिक्षण)
कार्यालय अतिरिक्त मुख्य अभियंता-एक
पो.ऑफिस-सारनी जिला-बैतूल(म.प्र.)

Email:-setrgmpcstps@gmail.com फेक्स न. ,07146-278459 / फोन न. 278459

क्र. 505-0103/अ.यं.(प्रशि)/502

सारनी, दिनांक:-21/12/2018

अप्रेंटिस-रिक्तियों की उपलब्धता सह नियम एवं शर्तें

म. प्र. राज्य के शासकीय/अशासकीय मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग/पॉलीटेक्निक कालेजों एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं (आई.टी.आई.) से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से निम्नलिखित शाखाओं/व्यवसायों (ब्रॉच/ट्रेड) में एक वर्षीय (एक वर्ष) अप्रेंटिस प्रशिक्षण हेतु आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में ऑन लाईन आमंत्रित किये जाते हैं:-

क्र.	शाखा	ग्रेज्यूएट अप्रेंटिस				टेक्निकल(डिप्लोमा) अप्रेंटिस			
		सामान्य	अ.जा.	अ.ज.जा.	कुल	सामान्य	अ.जा.	अ.ज.जा.	कुल
01.	मैकनिकल इंजीनियरिंग	04	01	01	06	02	01	01	04
02.	इलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग	03	-	01	04	02	01	-	03
03.	इलेक्ट्रिकल एण्ड इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग	01	-	-	01	-	01	-	01
	कुल योग	08	01	02	11	04	03	01	08

आई.टी.आई. अप्रेंटिस

क्र.	व्यवसाय	सामान्य	अ.जा.	अ.ज.जा.	ओ.बी.सी	विकलांग	कुल
01.	फिटर	24	08	10	07	01	50
02.	वैल्डर	12	04	05	04	-	25
03.	विद्युतकार	30	09	12	08	01	60
04.	मशीनिस्ट	07	02	03	02	01	15
05.	मनचित्रकार (सिविल)	04	02	02	01	01	10
06.	टर्नर	01	01	01	01	01	05
07.	उपकरण यांत्रिकी	04	02	02	01	01	10
08.	डीजल मैकेनिक	07	02	03	02	01	15
	कुल योग	89	30	38	26	07	190

प्रशिक्षण के लिए लागू नियम व शर्तें:-

01. शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता – शासन के नियमानुसार संबंधित विषय में।
 - (अ) ग्रेज्यूएट अप्रेंटिस – मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग/टेक्नालॉजी में डिग्री।
 - (ब) टेक्नीशियन(डिप्लोमा) अप्रेंटिस – म.प्र. तकनीकी शिक्षण से मान्यता प्राप्त संस्थान से इंजीनियरिंग/टेक्नालॉजी में डिप्लोमा।
 - (स) आई.टी.आई. अप्रेंटिस – शासकीय/अशासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं से (एस.सी. व्ही.टी./एन.सी.व्ही.टी.) आई.टी.आई. उत्तीर्ण।
02. पात्रता –
 - (अ) अभ्यर्थी किसी भी स्थापना संस्था में इससे पूर्व अप्रेंटिसशिप हेतु पंजीकृत हुआ हो तथा किसी भी संस्थान में एक वर्ष या अधिक समय तक कार्य न किया हो।
 - (ब) अभ्यर्थी ने अपनी डिग्री/डिप्लोमा/आई.टी.आई. सत्र 2016, 2017 एवं 2018 के अन्दर उत्तीर्ण किया हो।
 - (स) प्रशिक्षुओं का चयन उनके शाखा/व्यवसाय में प्राप्तांकों की प्रावीण्य सूची (सी.जी.पी.ए.) मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जावेगा।
03. प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण समाप्त होने पर म.प्र.पा.जन.कं.लि. द्वारा नियुक्ति देने की बाध्यता नहीं होगी।
04. ऑन लाईन आवेदन पत्र में अपूर्ण/ त्रुटिपूर्ण जानकारी अथवा असत्य जानकारी देने पर आवेदन निरस्त कर दिया जावेगा।
05. ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 15.01.2019 है। निर्धारित प्रारूप में अधीक्षण अभियंता (प्रशिक्षण) सतपुडा ताप विद्युत गृह म.प्र.पा.जन.कं.लि सारनी, जिला:- बैतूल (म.प्र.) के नाम से प्रेषित किया जावे।
06. प्रशिक्षुओं को आवास की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। प्रशिक्षण अवधि के दौरान कम्पनी के आवास रिक्त होने की स्थिति में उपलब्धतानुसार ही निर्धारित शुल्क आधार पर आवास सुविधा प्रदान की जावेगी।
07. ग्रेज्यूएट अप्रेंटिस को प्रतिमाह रुपये 4984/- (चार हजार नौ सौ चौरासी रुपये मात्र) एवं टेक्नीशियन अप्रेंटिस को प्रतिमाह रुपये 3542/- (तीन हजार पाँच सौ बियालिस रुपये) तथा आई.टी.आई. अप्रेंटिस को प्रतिमाह म.प्र. शासन श्रम विभाग से निर्धारित अर्धकुशल श्रमिक को दी जाने वाली राशि का 90% भुगतान, शिक्षुवृत्ति के रूप में किया जावेगा (वर्तमान में अर्धकुशल श्रमिक की दर 8232/- रुपये) प्रतिमाह है।
08. आवेदक को भारत सरकार के अप्रेंटिस पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। आवेदक अपना ई-मेल आई. डी. साफ एवं स्पष्ट अक्षरों में लिखे उसे समय-समय पर देखते रहे साथ ही साथ नीचे दी गई कम्पनी की वेबसाईट भी देखते रहे।
09. आवेदकों को ऑफर प्लेटर उनके ई-मेल आई.डी. द्वारा भेजे जाएंगे अतः आवेदको से अनुरोध है कि वे अपना ई-मेल आई. डी. आवेदन करने से पहले बना ले जो कम से कम एक साल के लिये वैध हो।
10. अ.जा./अ.ज.जा./ओ.बी.सी./विकलांग के लिए आरक्षण अप्रेंटिसशिप एक्ट के प्रावधानों के अनुसार रहेगा।

11. किसी भी प्रशिक्षु के चयन /निरस्त करने का अधिकार बिना किसी कारण बतायें म.प्र.पा.जन. कं.लि. सारनी अपने पास सुरक्षित रहेगा।
12. आवेदक को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक रहेगा। बैतूल, छिंदवाडा, होशंगाबाद, हरदा, नरसिंहपुर जिले के रहवासियों को प्राथमिकता प्रदान की जावेगी।
13. चयनित अप्रेंटिस प्रशिक्षुओं को सुरक्षा की दृष्टि से दुर्घटना संबंधी बीमा कराना आवश्यक होगा, जिसकी पॉलिसी की प्रति कार्यालय में उपलब्ध करानी होगी।
14. शासन के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन, बीमा पॉलिसी की, चिकित्सा प्रमाण-पत्र एवं आधार कार्ड की फोटो प्रति 500 रूपये के स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध इत्यादि आवश्यक रूप से कार्यालय में उपलब्ध करायें जाना आवश्यक होगा।
15. आवेदन पत्र का प्रारूप एवं विस्तृत जानकारी कम्पनी की वेबसाईट <http://mppgcl.mp.gov.in/careers.html> एवं Email.Id- setrgmpcstps@gmail.com तथा GA/TA आवेदन हेतु www.mhrants.gov.in पर उपलब्ध है।
16. आरक्षण एवं आयु में छूट:-
 - i. चयन प्रक्रिया में अन.जाति/अ.ज.जा./अ.पि.वर्ग तथा दिव्यांग आरक्षण नियम (सेशोधित) 2015 एवं राज्य शासन के नियमानुसार रहेगा।(संलग्न-1) यदि अन.जाति./अ.ज.जा. संवर्ग में निर्धारित संख्या में अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं तो उक्त संवर्ग की रिक्तियों को आपस में भरा जायेगा। तदोपरांत रिक्त रहने पर अन्य संवर्गों से भरा जा सकेगा।
 - ii. शिक्षुता प्रशिक्षण की अवधि एक वर्ष रहेगी।
 - iii. रिक्तियों की संख्या अनतिम है तथा समीक्षा के दौरान यह संख्या परिवर्तित हो सकती है। इसके परिणाम स्वरूप विभिन्न वर्गों/श्रेणियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या भी पुर्नरीक्षित हो सकती है।
 - iv. सभी वर्गों में अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।
 - v. सामान्य वर्गों के अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु 25 वर्ष होगी तथा अनु.जाति/अ.पि.वर्ग (नॉन-क्रीमी लेयर) के अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष एवं दिव्यांग को 10 वर्ष की छूट रहेगी।
17. चयन प्रक्रिया :-
 - i. आर्हता सुनिश्चित करने के लिए विज्ञापन के अनुसार प्राप्त आवेदनों की छटाई की जावेगी। तत्पश्चात्, म.प्र.पा.ज.कं.लि.मि, सारनी द्वारा प्राप्त हुए आवेदनों में आई.टी.आई. में प्राप्त आंकों के प्रतिशत के आधार पर योग्यता क्रम (मेरिट आधार) में चयन किया जावेगा। समान अंक होने पर अधिक आयु वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जावेगी। आवश्यकता होने पर वेटिंग लिस्ट से चयन किया जायेगा।
 - ii. अभ्यर्थी केवल एक ही ट्रेड में आवेदन भर सकता है।
 - iii. निर्धारित समयावधि में ज्वाइन न करने पर चयन निरस्त कर दिया जावेगा।
18. स्टाईपेण्ड-
स्टाईपेण्ड महानिदेशक (ट्रेनिंग) तथा कौशल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इस संबंध में जारी निर्देशनुसार देय होगा जो वर्तमान में निम्नानुसार है:-

क्र.	आर्हता	अर्धकुशल कार्मिक के 01.0.2018 को न्यूनतम वेतन का
क)	आई.टी.आई. (एस.सी.व्ही.टी.)	70 प्रतिशत
ख)	आई.टी.आई. एन.सी.व्ही.टी. (एक-वर्षीय)	80 प्रतिशत
ग)	आई.टी.आई. एन.सी.व्ही.टी. (दो-वर्षीय)	90 प्रतिशत

नोट— 01.10.2018 से अर्धकुशल न्यूनतम तजदूरी रूपसे 8232/- है। (संलग्न-II) शिक्षुता अवधि में उक्त वेतन (रु. 8232/- आधार पर ही स्टाईपेण्ड देय होगा। इसके अतिरिक्त अन्य कोई भत्ते/लाभ की पात्रता नहीं होगी।

19. चिकित्सा/स्वास्थ्य मानक:-

- i. किसी भी योग्य व पात्र आवेदक का अंतिम चयन चिकित्सा फिटनेस जो कि जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया गया है के आधार पर ही किया जावेगा।
- ii. दिव्यांग अभ्यर्थियों को उचित प्रारूप में प्राधिकृत अधिकारी अथवा जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी विकलांगता का पमाणपत्र जमा करना होगा। 40% अथवा उससे अधिक अक्षमता होने पर ही आरक्षण का लाभ दिया जायेगा।
जोखिम पूर्ण ट्रेड को छोड़कर अन्य ट्रेड में दिव्यांगों हेतु आरक्षण राज्य शासन के नियमानुसार दिया जायेगा।

20. आवेदन कैसे करें:-

- i. अभ्यर्थि का वेबसाईट www.apprenticeship.gov.in पर पंजीकरण अनिवार्य है, यदि अभ्यर्थि ने पंजीकरण नहीं कराया है तो संलग्न-(III) में दी प्रक्रिया अनुसार पंजीकरण कर सकते है।
- ii. अभ्यर्थि पंजीकरण के उपरांत अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर "Establishment Search" में जाकर कंपनी में उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार आवेदन करें, केवल ऑनलाइन आवेदन ही मान्य होगा। आवेदन करने की प्रक्रिया संलग्न-(IV) में है।
- iii. ऑनलाइन आवेदन हेतु दिनांक 15.01.2019 की मध्य रात्रि तक आवेदन भे जायेंगे। इसके पश्चात् प्राप्त आवेदन स्वीकृत नहीं किये जावेंगे।
- iv. विस्तृत विवरण हेतु उम्मीदवार कंपनी की वेबसाईट www.mppgcl.co.in पर देख सकते है अथवा उपरोक्त कार्यालयों में कार्यालयीन समय में संपर्क कर सकते है।
- v. पंजीकरण में किसी भी तरह की कठिनाई हेने पर जिला शिक्षुता अधिकारी तथा आवेदन मे कठिनाई होने पर जिला शिक्षुता अधिकारी/संबंधित नोडल अधिकारी से संपर्क किया जा सकता हे, जिनकी जानकारी संलग्न-(v) मे है।

21. महत्त्वपूर्ण निर्देश एवं शर्तें:-

- i. अभ्यर्थि कृपया यह सुनिश्चित कर लें कि, शिक्षुता प्रशिक्षण के लिये योग्यता रखते है तथा उनके द्वारा दी गई सभी जानकारियां सही है।
- ii. यदि चयन प्रक्रिया के दौरान भी समय यह ज्ञात होता है कि, अभ्यर्थि निर्धारित आर्हताओं को पूरा नहीं करते है और हमारी आवश्यकताओं पर खरे नहीं उतरते है। अथवा उन्होंने कोई भी जानकारी छुपाई है तो उनकी उम्मीदवारी को निरस्त कर दिया जावेगा एवं प्रशिक्षण समाप्ति जैसी सख्त कार्यवाही की जा सकती है।

- iii. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग/दिव्यांग अभ्यर्थि कृप्या अपनी श्रेणी ध्यानपूर्वक भरे चूंकि बाद में उनके द्वारा भरी गई कोई भी जानकारी किसी भी परिस्थिति में बदली नहीं जायेगी।
- iv. यदि अभ्यर्थि अपने ऑनलाईन में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, तो Edit my profile में जाकर परिवर्तन कर सकते हैं।
- v. विज्ञापन के आधार पर किये गये आवेदन पर किसी भी प्रकार की विधिक कार्यवाही के निपटारे हेतु शिक्षता अधिनियम 1961 एवं इसके संशोधन के प्रावधानुसार के आधार पर किया जावेगा।
- vi. अभ्यर्थि चयन हेतु म.प्र.पा.जं.क.लि. सारनी द्वारा बनाए गए एवं भविष्य में बनाए जाने वाले सभी नियमों एवं विनियमों का पालन करने के लिए बाध्य होंगे।
- vii. शिक्षता अवधि में अभ्यर्थियों को 13 दिवस के आकस्मिक अवकाश एवं 3 ऐच्छिक अवकाश तथा साप्ताहिक अवकाश की पात्रता रहेगी।
- viii. दुर्घटना की स्थिति में कर्मचारी क्षतिपूर्ति नियम 923 लागू होगा।
- ix. म.प्र.पा.जं.क.लि., सारनी को बिना पूर्व नोटिस या कारण बताए, चयन प्रक्रिया को रद्द करने/सीमित करने/बढाने का अधिकार होगा।
- x. चयन न होने की स्थिति, में उम्मीदवारों द्वारा कोई भी पत्राचार या पूछताछ स्वीकार नहीं की जाएगी।
- xi. अभ्यर्थि ध्यान रखें कि, शिक्षता अधिनियम 1961 की कडिका 22(1) के अनुसार यह विज्ञापन शिक्षता प्रशिक्षण के लिए है, नौकरी या रोजगार के लिए नहीं। प्रशिक्षण के उपरांत म.प्र.पा.जं.क.लि., सारनी किसी भी अभ्यर्थि को रोजगार देने के लिए बाध्य नहीं होगा और नही इस संबंध में कोई विचार किया जाएगा।
- xii. शिक्षता अधिनियम 1961 की कडिका 2 (1) एवं (2) के अनंसार प्रशिक्षण पूर्ण करने के दपरांत कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा, जिसके बाद राष्ट्रीय शिक्षता प्रमाण-पत्र प्रदान किया जावेगा।



अधीक्षण अभियंता
(प्रशिक्षण/संधारण योजना)
म.प्र.पां.ज.क.लि.सारनी



मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड
अधीक्षण अभियंता(एम.पी.सी./प्रशिक्षण)
कार्यालय अतिरिक्त मुख्य अभियंता-एक
पो.ऑफिस-सारनी जिला-बैतूल(म.प्र.)

Email:-setrgmpcstps@gmail.com फ़ेक्स न. :07146-278459 / फ़ोन न. 278459

क्र. 505-0103/अ.यं.(प्रशि)/464/475

सारनी दिनांक:- 01/12/2018

अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अन्तर्गत ट्रेड अप्रेंटिस (एक वर्षीय) हेतु आवेदन


मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड जो म.प्र. के राज्य विद्युत मण्डल की एक उत्तरवर्ती कम्पनी है, जिसका कार्यालय मुख्य अभियंता (उत्पादन) म.प्र.पा.जन.कं.लि. सारनी, जिला:- बैतूल में स्थित है, द्वारा म.प्र. के मूल निवासी अभ्यर्थियों के लिये जिन्होंने आई.टी.आई. (एन.सी.व्ही.टी./एस.सी.व्ही.टी.) ट्रेड:- फ़िटर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट, ड्राफ्टमेन (सिविल), वायरमेन, टर्नर, इन्सट्रूमेन्ट मैकेनिक, डीजल मैकेनिक से उत्तीर्ण की है तथा इंजीनियरिंग कॉलेज/पॉलीटेक्निक कॉलेज से डिग्री एवं डिप्लोमा ब्रॉच मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रानिक्स में उत्तीर्ण किया हो अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अन्तर्गत कुल रिक्तियों 209 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित है।

नोट:-

01. ऑनलाइन आवेदन हेतु वेबसाइट www.apprenticeship.gov.in है, जिस पर दिनांक:- 01-12-2018 की मध्यरात्रि (11.59) तक आवेदन भरे जायेंगे।
02. शिक्षता प्रशिक्षण की अवधि एक वर्ष तक रहेगी।
03. आवेदन करने वाले सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु दिनांक:- 01.01.2018 को 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 25 वर्ष होना चाहिये एवं एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी./दिव्यांग को आयु में छूट शिक्षता नियम (संशोधित) 2015 एवं राज्य शासन के नियमानुसार रहेगी।
04. उक्त रिक्तियों की संख्या परिवर्तनशील है तथा कम्पनी को रिक्तियों भरने या ना भरने का अधिकार रहेगा।
05. एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी./दिव्यांग हेतु आरक्षण शिक्षता नियम (संशोधित) 2015 एवं राज्य शासन के नियमानुसार रहेगा।
06. विस्तृत विवरण उम्मीदवार कम्पनी की वेबसाइट- <http://mppgcl.mp.gov.in/careers.html> पर देख सकते हैं अथवा कार्यालय अधीक्षण अभियंता (प्रशिक्षण) म.प्र.पा.जन.कं.लि. सारनी जिला:- बैतूल में कार्यालय समय में सम्पर्क कर सकते हैं।

“बिजली की बचत करें”

(व्ही.सी.टेलर)
अधी. अभि. (प्रशि./संघा.यो.)
म.प्र.पां.ज.क.लि.सारनी



मध्य प्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड
अधीक्षण अभियंता(एम.पी.सी./प्रशिक्षण)
कार्यालय अतिरिक्त मुख्य अभियंता-एक
पो.ऑफिस-सारनी जिला-बैतूल(म.प्र.)

Email:-setrgmpcstps@gmail.com फेक्स न. :07146-278459 / फोन न. 278459

क्र. 505-0103 / अ.यं.(प्रशि) / 465 / 475

सारनी, दिनांक:- 09 / 12 / 2018

अप्रेंटिस-रिक्तियों की उपलब्धता सह नियम एवं शर्तें

म. प्र. राज्य के शासकीय/अशासकीय मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग/पॉलीटेक्निक कालेजों एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं (आई.टी.आई.) से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से निम्नलिखित शाखाओं/व्यवसायों (ब्रॉच/ट्रेड) में एक वर्षीय (एक वर्ष) अप्रेंटिस प्रशिक्षण हेतु आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में ऑन लाईन आमंत्रित किये जाते हैं:-

क्र.	शाखा	ग्रेज्यूएट अप्रेंटिस				टेक्निकल(डिप्लोमा) अप्रेंटिस			
		सामान्य	अ.जा.	अ.ज.जा.	कुल	सामान्य	अ.जा.	अ.ज.जा.	कुल
01.	मैकनिकल इंजीनियरिंग	04	01	01	06	02	01	01	04
02.	इलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग	03	—	01	04	02	01	—	03
03.	इलेक्ट्रिकल एण्ड इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग	01	—	—	01	—	01	—	01
	कुल योग	08	01	02	11	04	03	01	08

आई.टी.आई. अप्रेंटिस

क्र.	व्यवसाय	सामान्य	अ.जा.	अ.ज.जा.	ओ.बी.सी	विकलांग	कुल
01.	फिटर	30	04	05	10	01	50
02.	वेल्डर	15	02	03	05	—	25
03.	विद्युतकार	30	04	05	10	01	50
04.	मशीनिस्ट	05	02	02	05	01	15
05.	मनचित्रकार (सिविल)	04	01	02	02	01	10
06.	वायरमेन	04	01	02	02	01	10
07.	टर्नर	01	01	01	01	01	05
08.	उपकरण यांत्रिकी	04	01	02	02	01	10
09.	डीजल मैकेनिक	05	02	02	05	01	15
	कुल योग	98	18	24	42	08	190

प्रशिक्षण के लिए लागू नियम व शर्तें:-

01. शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता - शासन के नियमानुसार संबंधित विषय में।
 - (अ) ग्रेज्यूएट अप्रेंटिस - मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग/टेक्नालॉजी में डिग्री।
 - (ब) टेक्नीशियन(डिप्लोमा) अप्रेंटिस - म.प्र. तकनीकी शिक्षण से मान्यता प्राप्त संस्थान से इंजीनियरिंग/टेक्नालॉजी में डिप्लोमा।
 - (स) आई.टी.आई. अप्रेंटिस - शासकीय/अशासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं से (एस.सी. व्ही.टी./एन.सी.व्ही.टी.) आई.टी.आई. उत्तीर्ण।
02. पात्रता -
 - (अ) अभ्यर्थी किसी भी स्थापना संस्था में इससे पूर्व अप्रेंटिसशिप हेतु पंजीकृत हुआ हो तथा किसी भी संस्थान में एक वर्ष या अधिक समय तक कार्य न किया हो।
 - (ब) अभ्यर्थी ने अपनी डिग्री/डिप्लोमा/आई.टी.आई. सत्र 2016, 2017 एवं 2018 के अन्दर उत्तीर्ण किया हो।
 - (स) प्रशिक्षुओं का चयन उनके शाखा/व्यवसाय में प्राप्तांकों की प्रावीण्य सूची (सी.जी.पी.ए.) मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जावेगा।
03. प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण समाप्त होने पर म.प्र.पा.जन.कं.लि. द्वारा नियुक्ति देने की बाध्यता नहीं होगी।
04. ऑन लाईन आवेदन पत्र में अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण जानकारी अथवा असत्य जानकारी देने पर आवेदन निरस्त कर दिया जावेगा।
05. ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31.12.2018 है। निर्धारित प्रारूप में अधीक्षण अभियंता (प्रशिक्षण) सतपुडा तार्ष विद्युत गृह म.प्र.पा.जन.कं.लि सारनी, जिला:- बैतूल (म.प्र.) के नाम से प्रेषित किया जावे।
06. प्रशिक्षुओं को आवास की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। प्रशिक्षण अवधि के दौरान कम्पनी के आवास रिक्त होने की स्थिति में उपलब्धतानुसार ही निर्धारित शुल्क आधार पर आवास सुविधा प्रदान की जावेगी।
07. ग्रेज्यूएट अप्रेंटिस को प्रतिमाह रूपये 4984/- (चार हजार नौ सौ चौरासी रूपये मात्र) एवं टेक्नीशियन अप्रेंटिस को प्रतिमाह रूपये 3542/- (तीन हजार पाँच सौ वियालिस रूपये) तथा आई.टी.आई. अप्रेंटिस को प्रतिमाह म.प्र. शासन श्रम विभाग से निर्धारित अर्धकुशल श्रमिक को दी जाने वाली राशि का 80% भुगतान, शिक्षुवृत्ति के रूप में किया जावेगा (वर्तमान में अर्धकुशल श्रमिक की दर 8232/- रूपये) प्रतिमाह है।
08. आवेदक को म.प्र. शासन/भारत सरकार के अप्रेंटिस पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। आवेदक अपना ई-मेल आई. डी. साफ एवं स्पष्ट अक्षरों में लिखे उसे समय-समय पर देखते रहे साथ ही साथ नीचे दी गई कम्पनी की वेबसाईट भी देखते रहे।
09. आवेदकों को ऑफर प्लेटर उनके ई-मेल आई.डी. द्वारा भेजे जाएंगे अतः आवेदको से अनुरोध है कि वे अपना ई-मेल आई. डी. आवेदन करने से पहले बना ले जो कम से कम एक साल के लिये वैध हो।
10. अ.जा./अ.ज.जा./ओ.बी.सी./विकलांग के लिए आरक्षण अप्रेंटिसशिप एक्ट के प्रावधानों के अनुसार रहेगा।

11. किसी भी प्रशिक्षु के चयन /निरस्त करने का अधिकार बिना किसी कारण बतायें म.प्र.पा.जन. कं.लि. सारनी अपने पास सुरक्षित रहेगा।
12. आवेदक को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक रहेगा। बैतूल, छिंदवाडा, होशंगाबाद, हरदा, नरसिंहपुर जिले के रहवासियों को प्राथमिकता प्रदान की जावेगी।
13. चयनित अप्रेंटिस प्रशिक्षुओं को सुरक्षा की दृष्टि से दुर्घटना संबंधी बीमा कराना आवश्यक होगा, जिसकी पॉलिसी की प्रति कार्यालय में उपलब्ध करानी होगी।
14. शासन के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन, बीमा पॉलिसी की, चिकित्सा प्रमाण-पत्र एवं आधार कार्ड की फोटो प्रति 500 रूपये के स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध इत्यादि आवश्यक रूप से कार्यालय में उपलब्ध करायें जाना आवश्यक होगा।
15. आवेदन पत्र का प्रारूप एवं विस्तृत जानकारी कम्पनी की वेबसाईट <http://mppgcl.mp.gov.in/careers.html> एवं Email.Id- setrgmpcstps@gmail.com पर भी उपलब्ध है।



(व्ही.सी.टेलर)
अधी. अभि. (प्रशि./संधा.यो.)
म.प्र.पां.ज.क.लि.सारनी

Terms and Conditions of the Contract of Apprenticeship for Graduate Technician and Technician (Vocational) Apprentices. (to be incorporated in the agreement)

This contract made this _____ day of _____ between (hereinafter called first employer) carrying on business at _____ of the one part and Shri _____ S/D/o _____ (hereinafter called apprentice) of the Second part and Whereas the first employer, who executed the contract registered with Central/ State/ Apprenticeship Advisor under registration No. _____ on the _____ day of _____ year with Apprentice _____ under Apprenticeship Act, 1961 _____ (Copy Enclosed) In for certain reason stated in writing (Annexed hereto).

1. The period of training shall be one year (in the case of Sandwich students, the period of training shall be stipulated in the curriculum).
2. It shall not be obligatory on the part of the employer to offer any employment to the apprentice on completion of period of apprenticeship training in his establishment nor shall it be obligatory on the part of the apprentice to accept an employment under the employer.

Note: If, however, there is a condition in the contract of Apprenticeship' that the apprentice shall, after the successful completion of training serve the employer, the employer shall, on such completion be bound to offer suitable employment to the apprentice and the apprentice shall be bound to serve the employer in that capacity for such period and for such remuneration as may be specified in the contract subject to the approval of the Central Apprenticeship Advisor.

3. Every apprentice undergoing apprenticeship training in an establishment shall be a trainee and not a worker and as such the provisions of any law with respect to Labour shall not apply to or in relation to such apprentice.
4.
 - i. The apprentices shall abide by the rules and regulations of the establishment in all matters of conduct and discipline and safety and carry out all lawful orders of the employer and superiors in the establishment.
 - ii. The apprentice shall learn his subject field conscientiously and diligently and attend to practical and instructional classes regularly.
 - iii. The apprentice shall maintain a record of his/her work during the period of his/her apprenticeship training in a proforma approved by the Apprenticeship Adviser.
 - iv. Where the contract of apprenticeship is terminated for failure on the part of the apprentice to carry out the terms of contract, the apprentice shall refund to the employer as cost of training such amount as may be determined by the Apprenticeship Adviser. In such event, the apprentices shall not be entitled to enter into another contract of Apprenticeship under the Act with any other employer.
 - v. The contract of apprenticeship can be terminated without compensation payable to the apprentices:
 - a- If he/she secures gainful employment (on production of copy of the appointment order); and

b- If he/she is unable to continue training on medical grounds (on production of a certificate to this effect from a Medical Officer not below the rank of Civil Surgeon).

- vi. For breach of contract by the employer, the employer shall pay compensation to the apprentice in accordance with rates specified under rule 8 of these rules.
- vii. Continuance of payment of stipend shall depend on satisfactory performance of the apprentice during the training period.

5.

- i. The employer shall make suitable arrangement in his establishment for imparting a course of apprenticeship training to the apprentice in accordance with the provisions of the Act and rules made there under and with the approval of the respective Regional central Apprenticeship Adviser. Every employer is required to formulate a "Training Programme" for the training of Graduate / Technician (Vocational) Apprentices and get it approved by the respective Regional Central Apprenticeship Adviser.
- ii. The employer will arrange for a suitable person to be placed in charge of training of apprentices as laid down under the Act and the rules made there under.

6.

- i. A Graduate Apprentice and Technician (Vocational) Apprentice shall work according to the normal hours of work of the department in the establishment to which he/she is attached for training. They will be eligible for 12 days of Casual Leave and 15 days of Medical Leave with payment of stipend. Extraordinary Leave upto 10 days with or without payment of stipend may be granted at the discretion of the establishment.
- ii. The stipend for a particular month shall be paid before the 10th day of the following month.

5001-103-1/1/18
8011

ANNEXURE- IB

MODEL CONTRACT FORM FOR NOVATION OF CONTRACT OF APPRENTICESHIP UNDER SECTION 5 OF THE APPRENTICE ACT, 1961

This contract made this _____ day of _____ between (hereinafter called first employer) carrying on business at _____ of the one part and _____ (hereinafter called the second employer) carrying on business at _____ of the second part and _____ S/D/o shri _____ (hereinafter called apprentice) of the third part* and Whereas the first employer, who executed the contract registered with Central/ State/ Apprenticeship Advisor under registration No. _____ on the _____ day of _____ Year with Apprentice/ Guardian _____ under Apprenticeship Act,1961 _____ (Copy Enclosed) In for certain reason stated in writing (Annexed hereto) , unable to fulfill his obligation under the said contract.

And whereas the Central/ State Apprenticeship Advisor is satisfied that for reason stated by the first employer, the first employer is unable to fulfill his obligation under the said contract and that it is in the interest of the apprentice or in public interest that the apprentice is engaged as a apprentice under the second employer for the unexpired portion of apprenticeship training.

And whereas the second employer has agreed to engage the apprentice for the unexpired portion of the period of apprenticeship training and to fulfill the obligation under the said contract executed between the first employer and the apprentice/ guardian.

and whereas the apprentice (guardian has agreed to engage the apprentice) should continue as an apprentice for the unexpired portion of the period of his/her apprenticeship training and to fulfill his obligation under the said contract already executed by him/her with the first employer. NOW THESE PRESENT WITNESS and it is hereby agree by and the between the parties as follows:-

1. The contract of apprenticeship with the first employer shall terminate between the apprentice/ guardian and the first employer with effect from the date this registered with the Central/State Apprenticeship Advisor and no obligation under that contract shall be enforceable at the instance of any party to the contract against the other party thereto.

2. The contract of apprenticeship already executed between the First employer and the apprentice/ guardian shall be deemed to be the contract executed under the Apprenticeship Act, 1961 between the second employer and the apprentice/ guardian with effect from the date in which this contract is registered with Central/State Apprenticeship Advisor as if the second employer and the apprentice / guardian were parties thereto instead of the first employer and the apprentice /guardian. The obligation of the second employer and the apprentice/ guardian under this contract shall be enforceable at the instance of any party to this contract against the other part thereto. IN WITNESS WHERE OF THE parties herto have executed these presents the day and the year first above written.

Signed by the first Employer
above named in the presence of

(Signed on the first Employer)

1

2
Signed by the second Employer
above named in the presence of

(Signed on the first Employer)

1

2

Signed by the Apprentice
above named or his guardian •
in case of minor & in the presence of

(Signed on the Apprentice)

1

MODEL CONTRACT APPRENTICESHIP TRAINING IN CASE OF MAJOR APPRENTICE

- 1/ a) Name Of Apprentice
b) Father's Name
c) Speciman signature of the Apprentice
- 2/ Address
- 3/ Date Of Birth
a) Date of execution of contract
b) Age on the date of execution of contract
- 4/ Whether belongs to Scheduled Caste/Scheduled Tribes/Physically Handicapped of minority community
- 5/ Present Qualification:-
a) General
b) Technicle : Passed Years Craftsman Training
Course in the Trade of From to
(Period of Institution Training)
From

(Name and Address ITI/ITC/MTI/Equivalent Recognized by NCVT)
- 6/ Trade (Apprenticeship)
- 7/ Date of Training Apprentice Training
- 8/ Period of Apprentice Trg. Year From
- 9/ Rates of Stipend : First Year Rs.
Second year Rs.
- 10/ Name of Employer
- 11/ Address of the Employer
- 12/ Name and Address of the Suerty:-
- 13/ We, the employer, Guardian and the surety Solemnly declared we have read the Apprenticeship Act 1961 and Apprenticeship Rules 1962 regarding the contract of Apprenticeship Training including obligations and agree to abide by all the provisions made thereafter. In case of default by either the apprentice or the employer, we agree to compensate the other part as per the provisions of the Apprenticeship Rules, 1962. (Main provisions of the Rules may be seen on the reverse of the page.
- Signature of the Employer with seal Signature of the Guardian Signature of the Suerty
- 14/ Witness and there address:-
1)
2)
- 15/ To be filled by the office of Apprenticeship adviser
i) Registration No.
ii) Date
iii) Place

Signature and Seal of the
Regional/Central Apprenticeship Adviser
State Apprenticeship Advisor

(ANNEXURE-IV)

[Under section 4 of The Apprentices (amendment) Act, 1961]

(Must be submitted within one month from the date of joining along with a copy of final year mark sheet attested with seal by employer & affidavit, if necessary)

a) Graduate Apprentice (GA) <input type="checkbox"/> b) Technician Apprentice (TA) <input type="checkbox"/> c) Graduate (Sandwich) Apprentice (GS) <input type="checkbox"/> d) Technician (Sandwich) Apprentice (TS) <input type="checkbox"/> e) Technician (Vocational) Apprentice (VOC) <input type="checkbox"/>		Affix firmly a Recent Passport Size Photograph and put employer's signature and organizations seal so that they appear partly on photograph & ACRC Do not pin or staple		[To be filled by BOAT(WR), MUMBAI] Registration No.: <input type="text"/> Reg. Date: <input type="text"/>	
1. Gender Male <input type="checkbox"/> Female <input type="checkbox"/>		REGIONAL CENTRAL APPRENTICESHIP ADVISER BOARD OF APPRENTICESHIP TRAINING (W.R.), MUMBAI			
2. Name of Apprentice (In capital letters as given in examination mark sheet) (Last Name) (First Name) (Middle Name)					
3. (a) Permanent Address Pin Code:		(b) Present Address Pin Code:		(c) Whether belongs to: General Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Schedule Caste Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Schedule Tribe Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Other Backward Class Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Nomedic Tribes Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Minority Community Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> (Specify minority Community) Physically Handicapped Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Telephone No :		Mobile No :		4. Date of Birth	
Email :		<input type="text"/>			
5. Qualifying Examination for apprenticeship training [Degree/ Diploma/ HSC (Voc)]		Name of the University / Board		Discipline / Branch	
				Date of declaration of result	
				Exam Seat No.	
6. Date of commencement of training		Period of training: From <input type="text"/> To <input type="text"/>			Rate of stipend
* Date of commencement of training must be after date of declaration of result					

7. Name & Address of the Employer
(Please quote Phone, Fax No. & E-mail id)
O/o S.E. Training
SGTGS, MPPGCL, Birsinghpur
M.P.484552
Email: setrainingsgtgs.brs@gmail.com
PH:07655-260215

8. Name & Address of the Surety.

Pin Code:

Note:-

1. This Contract Registration Card must be submitted with both pages appearing **back to back** and not on separate sheets.
2. This Contract Registration Card is liable for rejection in case any information in any clause is not furnished / partly furnished.

(ANNEXURE-IV), Pg #2

We, the Employer, Apprentice, (the Guardian in the case of Minor Apprentices) and the Surety hereby declare that we have read the contents of This Apprenticeship Contract as per The Apprenticeship Rules, 1962, as amended from time to time, and agree to abide by all the provisions made there under. We also declare that all the provisions of The Apprentices Act, 1961, as amended from time to time including those relating to Registration and Termination of Contract are binding on us. We also understand that training under The Apprentices Act do not guarantee a job with the employer/BOAT after the training is completed.

1. In the event of termination of Contract through failure on the part of the Employer to carry out the terms and conditions of the contract, he shall pay to the Apprentice a compensation of an amount equivalent to three months of minimum stipend payable under The Apprentices Act.

2. In the event of termination of Contract through failure on the part of the Apprentice to carry out terms of the contract, the Surety at the request of the Apprentice hereby guarantees to the Employer and the Central Government the payment of such amount as may be determined by the Central Apprenticeship Adviser, towards the cost for training of the Apprentice.

3. The liability of the Surety shall not at any time exceed an amount equal to three months of minimum stipend payable under The Apprentices Act.

Witness: 1

Name _____

Address: _____

Signature of Employer, and _____

Seal of Establishment

7

Signature of Apprentice _____
or Guardian (in case of minor)

Witness: 2

Name _____
Address: _____

Signature of Surety _____

The above mentioned apprenticeship contract between the employer and the apprentice/ guardian is registered under section 4(1)(2)(3) of apprenticeship Act 1961
Registration No. _____ Dt _____

Apprenticeship Advisor

In case of Minor Apprentice

*(_____ Name of the guardian hereinafter called the guardian, guardian of _____ Name of apprentice hereinafter called "Apprentice" of the third part

(ANNEXURE-II)

DECLARATION* / AFFIDAVIT**

(To be obtained from the candidate before joining as an apprentice)

I _____ son / daughter of _____ aged _____ residing at _____

_ hereby solemnly affirm and state as under:

1. That I passed my Degree / Diploma / 10+2 Vocational Higher Secondary Certificate examination in (Subject) _____ from _____

Polytechnic / College / School at (Place) _____

_____. The date of declaration of my Final year result is _____

2. That after passing the above said examination

6.1.1.1. I did not have training or job experience for one year or more.

6.1.1.2. I did not undergo apprenticeship training at any place under The Apprentices Act. what is stated above is true to the best of my knowledge and belief.

Date:

Place:

SIGNATURE

Note:

- The above declaration has to be signed by the candidate, if the gap between date of passing and date of joining the apprenticeship training is less than one year.
- If the gap is more than one year, the affidavit has to be furnished on a non judicial stamp paper in the above format.

PHYSICAL FITNESS

1. Standard of Physical Fitness for Training.-

1. A candidate should be free from evidence of any contagious or infectious disease. He/She should not be suffering from any disease which is likely to be aggravated by service or is likely to render him/her unfit for service or endanger the health of the public. He/She should also be free from evidence of tuberculosis in any form, active or healed.

2. Height, Weight and Chest.-

Candidate should satisfy the following minimum standards, namely:-
Height 137 Centimetres; Weight 25.4 kilograms; Chest expansion should not be less than 3.8 centimetres irrespective of size of chest:

Provided that where a candidate does not satisfy the said minimum standards but is certified in writing by a Medical Officer not below the rank of an Assistant Surgeon (Gazetted), to be physically fit for being engaged as an apprentice in a particular trade under the Apprentices Act, 1961, he may be engaged as an apprentice in that trade.

3. Eyes.-

There should be no evidence of any morbid condition of either eye or of the lids of either eye which may be liable to risk of aggravation of recurrence.

Standard of Vision

(A) Visual acuity

1[The Candidates having vision in one eye shall be eligible to undergo Apprenticeship Training, except in the following seventeen trades, namely:]

- (1) Electrician aircraft
- (2) Watch and Clock Mechanic
- (3) Driver-cum-fitter
- (4) Surveyor
- (5) Process cameraman
- (6) Sirdar
- (7) Rigger (Engineering & Chemical Industry)
- (8) Shortfirer/Blaster (Mines)
- (9) Mate (Mines)
- (10) Mechanic Radio and Radar Aircraft
- (11) Ceramic Moulder
- (12) Ceramic Caster
- (13) Ceramic Kiln Operator
- (14) Ceramic Press Operator
- (15) Ceramic Modeller
- (16) Ceramic Decorator
- (17) Optical Worker.]

The minimum standard of visual acuity for all trades shall be:
6/18 in each eye or 6/12 in one eye and 6/24 in the other eye without glasses
of 6/9 with glasses in both eyes.

Candidates with vision in one eye only shall be rejected.

(B) Colour Vision-not required

4. Ears.-

Hearing must be good in both ears and there should be no sign of suppurative disease. No hearing aid shall be permitted.

5. Skin.-

There should be no evidence of acute or chronic skin disease or chronic ulceration.

6. Speech.-

Speech should preferably be without impediment.

7. Alimentary system.-

- 210
- (1) Candidates should have sufficient number of natural teeth (in healthy state) for mastication.)
 - (2) Spleen should not be palpably enlarged and there should be no evidence of tenderness in the splenic area.
 - (3) Liver should not be palpable or tender.
 - (4) There should be no oral sepsis.
 - (5) There should be no sugar in the urine.
 - (6) Candidates should not be suffering from haemorrhoids, fissures in and fistula and hernia or bubonocoele or ischio-rectal abscess or hydrocele.

8. Cardio-Vascular System.-

- (1) Blood pressure should not exceed 85 diastolic and 140 systolic.
- (2) Candidates with low blood pressure (i.e. systolic below 100) should be rejected.
- (3) There should be no sign of any cardio-vascular disease.

9. Respiratory System.-

Candidates should be free from all diseases of respiratory system. There should be no deformity of chest which may cause impediment to breathing.

P.T.O.

10. Genito-Urinary System.-

There should be no evidence of genito-urinary disease or any abnormality.

11. Skeleton System.-

- (1) The function of all limbs should be within normal limits.
- (2) There should be no evidence of serious deformity of the spinal column or of the extremities.

12. Nervous System.-

There should be no evidence of any disease of nervous system or of any mental disease.

13. Glandular System.-

There should be no evidence of tuberculosis or other disease of the glandular system including the endocrine glands.